

प्रेषक,

विनय कुमार जायसवाल,
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उत्तर रेलवे, मुरादाबाद।

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
मुरादाबाद।

विषय- आपत्ति के निस्तारण के संबंध में।
महोदय,

सविनय निवेदन है कि मेरे द्वारा भूमि क्रय करने के संबंध में पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांकित 10.05.2022 पर लगी आपत्ति के निस्तारण के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या सी0 एल 0 संख्या 25/एडमिन ए दिनांकित 13.07.1998 के अनुसार मेरे द्वारा शपथ पत्र को संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा भूमि की रजिस्ट्री के उपरान्त सेल डीड तथा आवश्यक प्रपत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सादर प्रेषित की जाएंगी।

सादर।

दिनांक- 20.05.2022

प्रार्थी,
Vinay Kumar
(विनय कुमार जायसवाल)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उत्तर रेलवे, मुरादाबाद।

संलग्नक:
1-शपथ पत्र।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश मुरादाबाद

पत्रांक /2022 (प्रशा0) मुरादाबाद दिनांकित:

सेवा में,

मा0 महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
को सादर अग्रसारित।

जनपद न्यायाधीश,
मुरादाबाद।

शपथ पत्र

मैं, विनय कुमार जायसवाल, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (उ०रे०) मुरादाबाद सशपथ निम्नलिखित बयान करता हूँ-

1- यह कि मेरे द्वारा जनपद लखनऊ में आवास हेतु भूमि क्रय करने हेतु श्री हसीन खान पुत्र श्री जमील खान निवासी फ्लैट संख्या 02/626 पंचम तल विकास नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से वार्ता की गयी है। वह अपनी भूमि प्लॉट संख्या-GGP-F-F01/24 SECTOR F EMAAR MGF Integrated Township, Lucknow एरिया 200 (10 मीटर X 20 मीटर) वर्ग मीटर जोकि गांव सरसावां, अरधौना मऊ एवं अहमामऊ जोकि परगना लखनऊ तहसील सरोजनी नगर जिला लखनऊ में स्थित है को विक्रय हेतु सहर्ष तैयार है।

2- यह कि उपरोक्त भूमि को क्रय करने के संबंध में मेरे द्वारा विक्रेता श्री जमील खान निवासी फ्लैट संख्या 02/626 पंचम तल विकास नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मौखिक रूप से वार्ता हुयी है, कोई एग्रीमेंट टू सेल डीड नहीं किया गया है।

3- यह कि मैंने अभी तक भवन निर्माण हेतु भूमि क्रय नहीं की है। मेरे नाम से कोई भी अचल संपत्ति क्रय नहीं की गयी है।

4- यह कि माननीय उच्च न्यायालय से कोई अग्रिम या ऋण प्राप्त नहीं किया गया है, न ही इस संबंध में कोई प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

5- यह कि उक्त क्रय की जाने वाली भूमि एरिया 200 वर्ग मीटर (10 मीटर X 20 मीटर) को कुल मूल्य 80,00,000 (अस्सी लाख)/-रुपए में क्रय किया जाना निश्चित हुआ है। प्रतिफल की धनराशि का भुगतान मेरे द्वारा 8,00,000 (आठ लाख) रुपए/- अपने बचत खाता संख्या 31846706570 भारतीय स्टेट बैंक की सिविल लाइंस मुरादाबाद की शाखा से चैक द्वारा किया जाना निश्चित किया गया है तथा शेष धनराशि कुल 72 लाख रुपए तथा रजिस्ट्री के समय लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी रुपए 5,00,000 (पांच लाख)/- के भुगतान हेतु मेरे द्वारा एच.डी.एफ.सी. बैंक से ऋण आहरित किया जाना है। मेरे बचत खाते में से मु० 8,00,00/- (आठ लाख) रुपए का भुगतान अग्रिम धनराशि के रूप में माननीय उच्च न्यायालय से अनुमति मिलने की प्रत्याशा में प्रस्तावित विक्रेता को चैक द्वारा किया जाना है तथा शेष धनराशि का भुगतान एच.डी.एफ.सी. बैंक से ऋण आहरित कर रजिस्ट्री के समय किया जाना है।

6- यह कि उपरोक्त भूमि को क्रय करने हेतु एच.डी.एफ.सी. से प्रस्तावित लोन ऑफर पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति को संलग्न कर प्रार्थना पत्र पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को प्रेषित किया जा चुका है।

7- यह कि सुसंगत दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति को माननीय उच्च न्यायालय की अनुमति की प्रत्याशा में प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है।

Vinay Kumar Jaiswal

20/5/2022

Skandad

20/5/2022

शपथकर्ता

(विनय कुमार जायसवाल)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उत्तर रेलवे, मुरादाबाद।